

राजस्थान सरकार  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/सडक-पूल/2017-18/2029-32

दिनांक 23/02/2021

उपायुक्त,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
डूंगरपुर।

विषय- गलियाकोट मे हाई लेवल ब्रिज हेतु टीएडी अंश की शेष राशि हस्तांतरण के कम में।

प्रसंग- मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. जयपुर का पत्र क्रमांक 88 दिनांक 13.05.2020 एवं अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड सीमलवाडा जिला डूंगरपुर का पत्र क्रमांक 378 दिनांक 06.07.2020 ।

संदर्भ- विभागीय वित्तीय स्वीकृति क्र. 16089-16100 दिनांक 10.05.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक एवं संदर्भित पत्र अनुसार गलियाकोट मे हाई लेवल ब्रिज हेतु निर्माण कार्य कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग को टीएडी अंश की स्वीकृत, व्यय एवं हस्तांतरण राशि का विवरण निम्नानुसार है- (राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृत लागत राशि	व्यय राशि	ज.क.नि. मद अन्तर्गत कोषालय आहरण से प्राप्त राशि	शेष हस्तांतरण योग्य राशि
0	1	2	3	4
1	225.19	218.83	168.63	50.20

उपरोक्त कार्य हेतु कॉलम सं. 4 अनुसार शेष हस्तांतरण योग्य राशि 50.20 लाख की शासन की स्वीकृति संख्या 80/2019-20 में आयुक्त कार्यालय के पी.डी. खाते में प्राप्त राशि रु. 525.00 लाख में से हस्तान्तरित की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जावे।

शर्त:-

1. यदि स्वीकृत कार्य Third party inspection होने के बाद प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकृत तकनीकी मापदण्ड अनुसार मौके पर किये गये कार्य में पाई गयी कमियों के लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS

आयुक्त

क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/सडक निर्माण/2018-19/2029-32

दिनांक 23/02/2021

प्रतिलिपि-

1. मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर ।
3. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत डूंगरपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सीमलवाडा।

कृ.पू.उ.

5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं. 80/2019-20 दिनांक 19.02.2020 से प्राप्त राशि रु.525.00 लाख में से राशि 50.20 उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरण करावें।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा / प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. गार्ड फाईल।

ॐ  
अतिरिक्त आयुक्त